



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/विवि/2025-26/171

विवि.ओआरजी.आरईसी.सं.90/21-04-158/2025-26

28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - आउटसोर्सिंग में जोखिमों का प्रबंधन) निदेश 2025

विषयसूची

अध्याय I - प्रारंभिक	4
ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ	4
बी. प्रयोज्यता और कार्यक्षेत्र.....	4
सी. परिभाषाएँ	8
अध्याय II - बोर्ड की भूमिका	9
ए. बोर्ड-अनुमोदित नीति	9
बी. प्रमुख जिम्मेदारियाँ.....	9
अध्याय III - वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग	12
ए. परिभाषाएं.....	12
बी. ऐसी गतिविधियां जो आउटसोर्स नहीं की जाएंगी	12
सी. प्राधिकरण, जवाबदेही और निगरानी.....	12
डी. अभिशासन ढांचा.....	14
डी.1 आउटसोर्सिंग नीति	14
डी.2 वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका	14
ई. जोखिम प्रबंधन	15
ई.1 जोखिमों का मूल्यांकन	15
ई.2 जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा	16



एफ. आउटसोर्सिंग प्रक्रिया.....	17
एफ.1 सेवा प्रदाता मूल्यांकन.....	17
एफ.2 आउटसोर्सिंग करार	18
एफ.3 आउटसोर्स की गई गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण	20
एफ.4 कारोबार निरंतरता और आपातकालीन बहाली (डिजास्टर रिकवरी) योजना का प्रबंधन.....	21
एफ.5 समापन	21
जी. विशिष्ट आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएं	22
जी.1 समूह / संगुट के भीतर आउटसोर्सिंग	22
जी.2 अपतटीय आउटसोर्सिंग	23
एच. आउटसोर्स की गई सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण	24
अध्याय IV - सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं की आउटसोर्सिंग.....	26
ए. परिभाषाएं.....	26
बी. प्राधिकरण, जवाबदेही और निगरानी	27
सी. अभिशासन ढांचा	28
सी.1 आउटसोर्सिंग नीति.....	28
सी.2 वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका.....	29
सी.3 आईटी कार्य की भूमिका.....	30
डी. जोखिम प्रबंधन	30
डी.1 जोखिम प्रबंधन ढांचा.....	30
डी.2 जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा	31
ई. आउटसोर्सिंग प्रक्रिया	32
ई.1 सेवा प्रदाता मूल्यांकन	32
ई.2 आउटसोर्सिंग करार.....	33
ई.3 आउटसोर्स की गई सेवाओं की निगरानी और नियंत्रण.....	35
ई.4 आउटसोर्स की गई सेवाओं की सूची	36
ई.5 कारोबार निरंतरता और आपातकालीन बहाली योजना का प्रबंधन.....	36



ई.6 निकास रणनीति	37
ई.7 समापन	37
एफ. विशिष्ट आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएं.....	38
एफ.1 समूह / संगुट के भीतर आउटसोर्सिंग	38
एफ.2 अपतटीय या सीमापारीय आउटसोर्सिंग	38
एफ.3 सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की आउटसोर्सिंग.....	39
एफ.4 क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का उपयोग	39
जी. आउटसोर्स की गई सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण.....	45
अध्याय v – निरसन और अन्य प्रावधान	46
ए. निरसन और बचाव	46
बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं.....	46
सी. व्याख्याएं	47



बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को सक्षम बनाने वाले अन्य सभी प्रावधानों/कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई संतुष्ट है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसलिए एतद्वारा निम्नलिखित निदेश जारी करता है।

अध्याय I – प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - आउटसोर्सिंग में जोखिमों का प्रबंधन) निदेश 2025 कहा जाएगा।
2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बशर्ते कि किसी बैंक के मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आउटसोर्सिंग करार, चाहे वे इन निदेशों के प्रभावी होने की तिथि को या उसके बाद नवीनीकरण के लिए देय हों, नवीनीकरण के समय या 10 अप्रैल 2026 तक, जो भी पहले हो, इन निदेशों के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। तथापि, इन निदेशों की प्रभावी तारीख को या उसके बाद लागू होने वाले बैंक के नए आईटी आउटसोर्सिंग करार, करार की तारीख से ही इन निदेशों के प्रावधानों का पालन करेंगे।

बशर्ते यह भी कि पिछले परंतुक में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि ऐसी व्यवस्थाओं पर लागू सांविधिक आवश्यकताओं अथवा किसी अन्य मौजूदा विनियामक अनुदेशों का अनुपालन नहीं करने की अनुमति दी गई है।

बी. प्रयोज्यता और कार्यक्षेत्र

3. ये निदेश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से 'बैंक' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' कहा जाएगा) पर लागू होंगे।

इन निदेशों के प्रयोजन से, 'वाणिज्यिक बैंक' का अर्थ बैंकिंग कंपनी (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), संबंधित नए बैंक और भारतीय स्टेट बैंक, जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (सी), (डीए), और (एनसी) के तहत क्रमशः परिभाषित किया गया है।



बशर्ते कि भारत में शाखा मोड के माध्यम से कार्यरत विदेशी बैंकों के संबंध में, इन निदेशों में बोर्ड या निदेशक मंडल के किसी भी संदर्भ को भारत में शाखा संचालन की देखरेख करने वाले प्रधान कार्यालय या नियंत्रण कार्यालय के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त, आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में अध्याय IV में निहित निदेशों के संबंध में, विदेशी बैंक 'अनुपालन करें या स्पष्टीकरण दें' दृष्टिकोण के अधीन होंगे, जो उन्हें उन निदेशों के किसी विशिष्ट प्रावधान से विचलित होने की अनुमति देगा, बशर्ते आरबीआई द्वारा ऐसे विचलन के लिए उचित रूप से न्यायसंगत स्पष्टीकरण की जांच और स्वीकृति हो।

4. अध्याय III में निहित प्रावधानों का दायरा निम्नलिखित होगा:

(1) ये प्रावधान किसी बैंक द्वारा किसी सेवा प्रदाता, जो या तो उस समूह/संगुट का सदस्य हो सकता है जिससे बैंक संबंधित है, या कोई असंबंधित पक्ष हो सकता है, जो भारत में या कहीं और स्थित हो, के साथ वित्तीय सेवाओं जैसे आवेदन प्रसंस्करण (ऋण उत्पत्ति, क्रेडिट कार्ड), दस्तावेज़ प्रसंस्करण, विपणन और अनुसंधान, ऋणों का पर्यवेक्षण, डेटा प्रसंस्करण और बैंक ऑफिस से संबंधित गतिविधियों की आउटसोर्सिंग के लिए की गई आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर लागू होंगे।

बशर्ते कि क्रेडिट कार्ड से संबंधित आउटसोर्स सेवाओं के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड: जारी करना और संचालन) निदेश 2025 में समय-समय पर संशोधित किए गए प्रावधान भी लागू संस्थाओं पर लागू होंगे।

(2) ये प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित उप-संविदात्मक गतिविधियों पर भी लागू होंगे। इसके लिए, आउटसोर्सिंग करार में यह प्रावधान होना चाहिए कि किसी सेवा प्रदाता द्वारा आउटसोर्स की गई गतिविधि के पूर्ण या आंशिक कार्य के लिए किसी उप-संविदाकार को नियुक्त करने से पहले बैंक का पूर्व अनुमोदन या सहमति आवश्यक होगी। ऐसी सहमति देने से पहले, बैंक उप-संविदा व्यवस्था की समीक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि यह इन निदेशों के अध्याय III में दिए गए निदेश का अनुपालन करती है।

(3) ये प्रावधान निम्नलिखित की आउटसोर्सिंग पर लागू नहीं होंगे:

(i) इन निदेशों के पैरा 53(1) में परिभाषित आईटी सेवाएं, जब तक कि अध्याय IV के संबंधित पैरा में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो;



(ii) बैंकिंग सेवाओं से असंबंधित गतिविधियाँ जैसे कूरियर का उपयोग, स्टाफ की खानपान व्यवस्था, हाउसकीपिंग और सफाई सेवाएं, परिसर की सुरक्षा और अभिलेखों का आवागमन तथा पुरालेखण; और

(iii) चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों के लेखापरीक्षा संबंधी कार्य, जो पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई द्वारा जारी अनुदेशों और दिशा-निर्देशों द्वारा अभिशासित होते रहेंगे।

5. अध्याय IV में निहित प्रावधानों का दायरा निम्नानुसार होगा:

(1) ये प्रावधान बैंक द्वारा आईटी सेवाओं के महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग पर लागू होंगे, जैसा कि अनुच्छेद 53(2) में परिभाषित है। इस संदर्भ में, 'आईटी सेवाओं के आउटसोर्सिंग' में निम्नलिखित सेवाओं की आउटसोर्सिंग शामिल होगी:

- (i) आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन, रखरखाव और समर्थन (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर);
- (ii) नेटवर्क और सुरक्षा समाधान, और रखरखाव (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर)
- (iii) एटीएम स्विच एसपी सहित एप्लिकेशन सेवा प्रदाताओं (एसपीएस) द्वारा एप्लिकेशन विकास, रखरखाव और परीक्षण;
- (iv) डेटा केंद्रों से संबंधित सेवाएं और परिचालन;
- (v) क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं;
- (vi) प्रबंधन की गई सुरक्षा सेवाएं; और
- (vii) भुगतान प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी आईटी मूलभूत सुविधाओं और प्रौद्योगिकी सेवाओं का प्रबंधन।

(2) ये प्रावधान निम्नलिखित सेवाओं पर लागू नहीं होंगे:

- (i) किसी बैंक द्वारा किसी अन्य विनियमित संस्था (रेगुलेटेड एंटीटीज (आरई)) के कॉर्पोरेट ग्राहक या उप-सदस्य के रूप में प्राप्त की गई कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं;

बशर्ते कि, इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित सांकेतिक (परंतु संपूर्ण नहीं) संस्थाओं की सूची को आरई माना जाएगा – अन्य वाणिज्यिक बैंक; स्थानीय क्षेत्र बैंक; लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; आधार स्तर (एनबीएफसी - बीएल), मध्य स्तर



(एनबीएफसी - एमएल) और ऊपरी स्तर (एनबीएफसी - यूएल) की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ; अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान; साख सूचना कंपनियाँ; शहरी सहकारी बैंक; ग्रामीण सहकारी बैंक; और, भुगतान प्रणाली संचालक;

(ii) बाह्य लेखापरीक्षा सेवाएं जैसे भेद्यता मूल्यांकन (वल्नेरेबिलिटी असेसमेंट (वीए)) / प्रवेश परीक्षण (पेनिट्रेशन टेस्टिंग (पीटी)), सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा और सुरक्षा समीक्षा;

(iii) एसएमएस गेटवे (बल्क एसएमएस सेवा प्रदाताओं सहित);

(iv) आईटी हार्डवेयर या उपकरणों की खरीद;

(v) लाइसेंस या सदस्यता के आधार पर आईटी सॉफ्टवेयर, उत्पाद या एप्लिकेशन (जैसे, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस), डेटाबेस और सुरक्षा सोल्यूशन) का अधिग्रहण और वेंडर द्वारा ऐसे लाइसेंस प्राप्त तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन में किए गए कोई भी सुधार (अपग्रेड के रूप में) या बैंक द्वारा किए गए विशिष्ट परिवर्तन अनुरोध पर किए गए सुधार;

(vi) आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या लाइसेंस प्राप्त उत्पादों के लिए कोई भी रखरखाव सेवा (सुरक्षा पैच और बग फिक्स सहित), जो स्वयं मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) द्वारा प्रदान की जाती है, ताकि बैंक द्वारा उनका निरंतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके;

(vii) वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों या संस्थानों जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) द्वारा प्रदान किए गए एप्लिकेशन;

(viii) रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) जैसी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म;

(ix) बैंक द्वारा सब्सक्राइब किए गए कोई अन्य ऑफ-दि-शेल्फ उत्पाद (जैसे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और ईमेल सोल्यूशन), जिसमें केवल लाइसेंस की खरीद बिना या न्यूनतम कस्टमाइज़ेशन के साथ की जाती है;

(x) किसी केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) के उप-सदस्य के रूप में किसी बैंक द्वारा किसी अन्य आरई से प्राप्त सेवाएं;



(xi) कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) सेवाएं, पेट्रोल प्रोसेसिंग और स्टेटमेंट प्रिंटिंग।

सी. परिभाषाएँ

6. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) 'आउटसोर्सिंग' का अर्थ है किसी बैंक द्वारा किसी तीसरे पक्ष (चाहे वह किसी कॉर्पोरेट समूह के भीतर संबद्ध संस्था हो या कॉर्पोरेट समूह से बाहर की संस्था) का उपयोग करके उन गतिविधियों को निरंतर आधार पर करवाना जो सामान्यतः बैंक द्वारा वर्तमान या भविष्य में की जाती हैं। 'निरंतर आधार' में सीमित अवधि के लिए किए गए करार भी शामिल होंगे।

(2) अंतरसमूह लेनदेन और एक्सपोजर के प्रयोजन के लिए, 'समूह' को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - संकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश 2025, समय-समय पर संशोधित, में यथापरिभाषित किया जाएगा;

7. वित्तीय सेवाओं और आईटी सेवाओं के आउटसोर्सिंग से संबंधित कुछ अन्य शब्दों को उनकी प्रयोज्यता के अनुसार संबंधित अध्यायों में परिभाषित किया गया है।

8. इन निदेशों में परिभाषित न किए गए अन्य सभी शब्दों का वही अर्थ होगा जो बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, या उसके किसी सांविधिक आशोधन या पुनर्अधिनियमन या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित शब्दावली या वाणिज्यिक भाषा में प्रयुक्त शब्दों का है, जैसा भी मामला हो।



अध्याय II - बोर्ड की भूमिका

9. किसी बैंक द्वारा किसी गतिविधि की आउटसोर्सिंग करने से उसके और उसके बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन का दायित्व कम नहीं होता है, क्योंकि आउटसोर्स की गई गतिविधि के लिए परम जिम्मेदारी उन्हीं की होती है।

ए. बोर्ड-अनुमोदित नीति

10. कोई बैंक जो अपनी किसी वित्तीय या आईटी गतिविधि को आउटसोर्स करने की मंशा रखता है, उसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक आउटसोर्सिंग नीति लागू करनी होगी, जिसका दायरा क्रमशः पैराग्राफ 20 और पैराग्राफ 57 में इंगित किया गया है।

बी. प्रमुख जिम्मेदारियां

11. बोर्ड या बोर्ड की वह समिति जिसे शक्तियां सौंपी गई हैं, जैसा कि वित्तीय या आईटी आउटसोर्सिंग के लिए लागू है, सभी मौजूदा और संभावित आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं के जोखिमों और महत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा तैयार करने, जोखिमों और महत्ता के आधार पर उचित अनुमोदन प्राधिकारी निर्धारित करने और नियमित समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगी।
12. वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में,

(1) बोर्ड, या बोर्ड की वह समिति जिसे शक्तियां सौंपी गई हैं, *अन्य बातों के अलावा*, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी:

- (i) सभी मौजूदा और संभावित आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं के जोखिमों और महत्ता का मूल्यांकन करने के लिए रूपरेखा को अनुमोदन देना और ऐसी व्यवस्थाओं पर लागू होने वाली नीतियों को अनुमोदन देना;
- (ii) जोखिमों और महत्ता के आधार पर आउटसोर्सिंग के लिए उपयुक्त अनुमोदन प्राधिकारियों का निर्धारण करना;
- (iii) आउटसोर्सिंग रणनीतियों और व्यवस्थाओं की निरंतर प्रासंगिकता, सुरक्षा और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियमित समीक्षा करना;



(iv) आउटसोर्स किए जाने वाले महत्वपूर्ण कारोबार गतिविधियों पर निर्णय लेना और ऐसी व्यवस्थाओं को मंजूरी देना;

(v) सभी महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग के अभिलेखों की अर्धवार्षिक आधार पर समीक्षा करना; और

(vi) वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग के लिए संविदाओं का विवरण, आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की निर्धारित आवधिकता, लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष और पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई को की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए वार्षिक अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना।

(2) बैंक के बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) को निम्नलिखित करना होगा:

(i) सभी आउटसोर्स गतिविधियों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की निगरानी करें; और

(ii) आउटसोर्स वेंडर के साथ समाधान के लिए लंबित प्रविष्टियों के एजिंग विश्लेषण की समीक्षा करें और उसमें बकाया पुरानी मदों को जल्द से जल्द कम करने के प्रयास करें।

13. सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के आउटसोर्सिंग के संबंध में, बोर्ड *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:

(i) जोखिमों और महत्ता के आधार पर आउटसोर्सिंग गतिविधियों की मंजूरी के लिए एक ढांचा तैयार करना;

(ii) सभी मौजूदा और संभावित आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं के जोखिमों और महत्ता का मूल्यांकन करने के लिए नीतियों को अनुमोदन देना;

(iii) वरिष्ठ प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा स्थापित करना;

(iv) स्वयं या अपनी समिति के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि तृतीय-पक्ष के साथ व्यवस्थाओं (एनोजमेंट) से हितों का कोई टकराव उत्पन्न न हो, विशेषकर जब इस आवश्यकता में अपवाद की अनुमति दी जाती है कि आउटसोर्स सेवाओं का सेवा प्रदाता, यदि



समूह कंपनी नहीं है, तो किसी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अनुमोदक या उनके रिश्तेदारों के स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं होगा जैसा कि इन निदेशों के पैरा 54 के परंतुक में इंगित किया गया है; और

(v) निगरानी एवं नियंत्रण गतिविधियों पर वरिष्ठ प्रबंधन को प्रस्तुत रिपोर्टों में उल्लिखित किसी भी प्रतिकूल घटनाक्रम की समीक्षा करना।



अध्याय III - वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग

ए. परिभाषाएं

14. इस अध्याय में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, 'महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग' से तात्पर्य उन व्यवस्थाओं से है, जिनके बाधित होने पर बैंक के कारोबार संचालन, प्रतिष्ठा या लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। आउटसोर्सिंग की 'महत्ता' निम्नलिखित आधारों पर निर्धारित की जाएगी:

- (i) आउटसोर्स की जा रही गतिविधि का बैंक के लिए महत्व स्तर;
- (ii) आउटसोर्सिंग का बैंक के विभिन्न मापदंडों जैसे आय, ऋण शोधन क्षमता, चलनिधि, निधीयन, पूंजी और जोखिम प्रोफ़ाइल पर संभावित प्रभाव;
- (iii) सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रदान करने में विफल रहने की स्थिति में बैंक की प्रतिष्ठा और ब्रांड मूल्य तथा उसके कारोबार उद्देश्यों, रणनीति और योजनाओं को प्राप्त करने की क्षमता पर संभावित प्रभाव;
- (iv) बैंक की कुल परिचालन लागत के अनुपात में आउटसोर्सिंग की लागत; और
- (v) उन मामलों में जहां बैंक विभिन्न कार्यों को एक ही सेवा प्रदाता को आउटसोर्स करता है, उस सेवा प्रदाता के प्रति कुल जोखिम।

बी. ऐसी गतिविधियां जो आउटसोर्स नहीं की जाएंगी

15. ऐसा बैंक जो वित्तीय सेवाओं को आउटसोर्स करने का विकल्प चुनता है, वह आंतरिक लेखापरीक्षा, अनुपालन कार्य और निर्णय लेने संबंधी कार्यों जैसे कि जमा खाते खोलने के लिए केवाईसी मानदंडों के अनुपालन का निर्धारण करना, ऋण (खुदरा ऋण सहित) के लिए मंजूरी देना और निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करना आदि को आउटसोर्स नहीं करेगा।

सी. प्राधिकरण, जवाबदेही और निगरानी

- 16. वित्तीय सेवाओं को आउटसोर्स करने की मंशा रखने वाले बैंक को आरबीआई से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे सेवा प्रदाता भारत में स्थित हो या भारत के बाहर।
- 17. पैरा 9 में उल्लिखित अनुसार, बैंक द्वारा किसी भी गतिविधि का आउटसोर्सिंग करने से उसके दायित्वों में कोई कमी नहीं आएगी, जिनमें ग्राहकों और आरबीआई के प्रति दायित्व, साथ ही उसके



बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के दायित्व भी शामिल हैं, जिनकी आउटसोर्स की गई गतिविधि के लिए अंतिम जिम्मेदारी होती है। अतः, बैंक अपने सेवा प्रदाताओं, जिनमें प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट (डीएसए) / प्रत्यक्ष विपणन एजेंट (डीएमए) और वसूली एजेंट शामिल हैं, के कार्यों और सेवा प्रदाताओं के पास उपलब्ध ग्राहकों से संबंधित जानकारी की गोपनीयता के लिए उत्तरदायी होगा। आउटसोर्स की गई गतिविधि पर अंतिम नियंत्रण बैंक के पास ही रहेगा।

18. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (i) आउटसोर्सिंग के संबंध में सम्यक जांच करते समय सभी प्रासंगिक कानूनों, विनियमों, नियमों, दिशानिर्देशों और अनुमोदन, लाइसेंसिंग या पंजीकरण की शर्तों पर विचार किया गया है;
- (ii) आउटसोर्सिंग, चाहे सेवा प्रदाता भारत में स्थित हो या बाहर, आरबीआई के पर्यवेक्षी कार्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में बाधा नहीं डालती है और न ही विनियामक/पर्यवेक्षक के प्रति बैंक के दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को कम करती है;
- (iii) आउटसोर्सिंग, चाहे सेवा प्रदाता भारत में स्थित हो या बाहर, बैंक की अपनी गतिविधियों की प्रभावी ढंग से निगरानी और प्रबंधन करने तथा अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में बाधा या हस्तक्षेप नहीं करती है;
- (iv) आउटसोर्सिंग के परिणामस्वरूप बैंक के आंतरिक नियंत्रण, कारोबार आचरण या प्रतिष्ठा में कोई आंच या कमजोरी नहीं आएगी;
- (v) सेवा प्रदाता सेवाओं के निष्पादन में उसी उच्च स्तर की सावधानी बरतेगा जैसा कि बैंक द्वारा बरती जाती, यदि गतिविधियाँ बैंक के भीतर ही संचालित की जातीं और आउटसोर्स नहीं की जातीं; और
- (vi) सेवा प्रदाता, यदि बैंक की सहायक कंपनी नहीं है, तो वह बैंक के किसी निदेशक या अधिकारी/कर्मचारी या उनके रिश्तेदारों (जिनका वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अंतर्गत समय-समय पर संशोधित नियमों के तहत दिया गया है) के स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं होगी।



19. बैंक अपने सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए ग्राहक संबंधी गतिविधियों के संबंध में एफआईयू या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।

डी. अभिशासन ढांचा

डी.1 आउटसोर्सिंग नीति

20. बैंक जो अपनी किसी वित्तीय सेवा को आउटसोर्स करना चाहता है, उसे अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक आउटसोर्सिंग नीति बनानी होगी, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) ऐसी गतिविधियों और सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए मानदंड;
- (ii) इन दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित व्यापक मानदंडों के आधार पर 'महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग' को परिभाषित करने के लिए पैरामीटर;
- (iii) जोखिमों और महत्ता के आधार पर अधिकार का प्रत्यायोजन; और
- (iv) इन गतिविधियों की निगरानी और समीक्षा के लिए प्रणालियाँ।

डी.2 वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका

21. बैंक का वरिष्ठ प्रबंधन, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

- (i) बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति द्वारा अनुमोदित ढांचे के आधार पर, सभी मौजूदा और संभावित आउटसोर्सिंग के जोखिमों और महत्ता का मूल्यांकन करना;
- (ii) आउटसोर्सिंग की प्रकृति, दायरे और जटिलता के अनुरूप सुदृढ़ और विवेकपूर्ण आउटसोर्सिंग नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित करना और लागू करना;
- (iii) नीतियों और प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता की समय-समय पर समीक्षा करना;
- (iv) आउटसोर्सिंग से जुड़े महत्वपूर्ण जोखिमों से संबंधित जानकारी समय पर बोर्ड को संप्रेषित करना;
- (v) यह सुनिश्चित करना कि वास्तविक और संभावित व्यवधानकारी परिदृश्यों पर आधारित आकस्मिक योजनाएँ तैयार हों और उनका परीक्षण किया गया हो;



(vi) यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित नीतियों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र समीक्षा और लेखापरीक्षा हो; और

(vii) उत्पन्न होने वाले नए महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग जोखिमों की पहचान करने के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं की आवधिक समीक्षा करना।

ई. जोखिम प्रबंधन

ई.1 जोखिमों का मूल्यांकन

22. आउटसोर्सिंग व्यवस्था में प्रवेश करते समय एक बैंक को निम्नलिखित प्रमुख जोखिमों का मूल्यांकन करना चाहिए और उनसे बचाव करना चाहिए:

(i) **रणनीतिक जोखिम** – जैसे कि जहां सेवा प्रदाता बैंक के समग्र रणनीतिक लक्ष्यों के साथ असंगत होकर अपने स्वयं के लिए कारोबार संचालित करता है।

(ii) **प्रतिष्ठा जोखिम** – जैसे कि जहां सेवा प्रदाता खराब सेवा प्रदान करता है या उसका ग्राहक के साथ व्यवहार बैंक के समग्र मानकों के अनुरूप नहीं है।

(iii) **अनुपालन जोखिम** – जैसे कि जहां आउटसोर्सिंग के कारण गोपनीयता, उपभोक्ता और विवेकपूर्ण कानूनों का पर्याप्त रूप से अनुपालन नहीं किया जाता है।

(iv) **परिचालन जोखिम** – जो प्रौद्योगिकी विफलता, धोखाधड़ी, त्रुटि या सेवा प्रदाता की दायित्वों को पूरा करने या उपाय प्रदान करने की अपर्याप्त वित्तीय क्षमता के कारण उत्पन्न हो सकता है।

(v) **कानूनी जोखिम** – जहां सेवा प्रदाता की भूल और चूक के कारण पर्यवेक्षी कार्रवाइयों या निजी समझौतों के परिणामस्वरूप बैंक को *अन्य बातों के साथ-साथ* जुर्माने, दंड या दंडात्मक क्षति का सामना करना पड़ता है।

(vi) **निकास रणनीति जोखिम** – यह तब उत्पन्न हो सकता है जब कोई बैंक किसी एक सेवा प्रदाता पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है, प्रासंगिक आंतरिक कौशल खो देता है जिससे वह गतिविधि को वापस आंतरिक रूप से नहीं कर पाता है या ऐसे संविदाओं में प्रवेश करता है जो शीघ्र निकास को अत्यधिक महंगा बना देते हैं।



(vii) **प्रतिपक्ष जोखिम** – जैसे कि जहां सेवा प्रदाता अनुचित हामीदारी या क्रेडिट मूल्यांकन में करता है।

(viii) **देश जोखिम** – जहाँ राजनीतिक, सामाजिक या कानूनी माहौल आउटसोर्सिंग व्यवस्था में अतिरिक्त जोखिम पैदा करता है।

(ix) **संविदात्मक जोखिम** – जहाँ बैंक के पास सेवा प्रदाता के साथ संविदा को लागू करने की क्षमता न हो।

(x) **संकेन्द्रण और प्रणालीगत जोखिम** - जहां किसी सेवा प्रदाता पर बैंक का नियंत्रण नहीं होता है, खासकर तब जब समग्र बैंकिंग उद्योग का किसी एक सेवा प्रदाता के प्रति काफी एक्सपोजर होता है।

ई.2 जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा

23. बैंक सेवा प्रदाता की हिरासत या कब्जे में ग्राहक की जानकारी की सुरक्षा, संरक्षण और बचाव सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
24. किसी सेवा प्रदाता या उसके स्टाफ द्वारा ग्राहक की जानकारी तक पहुंच 'आवश्यकतानुसार' आधार पर होगी, यानी उन क्षेत्रों तक सीमित होगी जहां आउटसोर्स किए गए कार्य को करने के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है।
25. बैंक अपने सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा प्रथाओं और नियंत्रण प्रक्रियाओं की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी करेगा और सेवा प्रदाता से सुरक्षा उल्लंघनों की जानकारी देने के लिए कहना चाहिए।
26. ऐसे मामलों में, जहां कोई सेवा प्रदाता कई संस्थाओं के लिए आउटसोर्सिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, बैंक को यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय बनाने होंगे कि सूचना, दस्तावेज़, अभिलेख और परिसंपत्तियों का आपस में कोई मिश्रण या संयोजन न हो।
27. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा प्रदाता बैंक के ग्राहक की जानकारी, दस्तावेज़, अभिलेख और परिसंपत्तियों को अलग करने और स्पष्ट रूप से पहचानने में सक्षम हो ताकि जानकारी की गोपनीयता की रक्षा की जा सके।



28. बैंक को सुरक्षा उल्लंघन और ग्राहक संबंधी गोपनीय जानकारी के क्षरण होने की स्थिति में तत्काल आरबीआई को सूचित करना होगा। ऐसी स्थिति में बैंक अपने ग्राहकों को हुए किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।

एफ. आउटसोर्सिंग प्रक्रिया

एफ.1 सेवा प्रदाता मूल्यांकन

29. किसी आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर विचार करते समय या उसका नवीनीकरण करते समय, बैंक को सम्यक जांच करनी चाहिए, ताकि आउटसोर्सिंग करार में उल्लिखित दायित्वों का निरंतर पालन करने के लिए सेवा प्रदाता की क्षमता का आकलन किया जा सके।
30. ऊपर उल्लिखित सम्यक जांच में सेवा प्रदाता के बारे में, जहां लागू हो, सभी उपलब्ध जानकारीयों का मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
- (i) गुणात्मक, मात्रात्मक, वित्तीय, परिचालनात्मक, विधिक और प्रतिष्ठा संबंधी कारक;
 - (ii) किसी एक सेवा प्रदाता या सीमित संख्या में सेवा प्रदाताओं को आउटसोर्सिंग करने से उत्पन्न होने वाले अनुचित संकेंद्रीकरण से जुड़े जोखिम;
 - (iii) पूर्व अनुभव और संविदा अवधि के दौरान प्रस्तावित गतिविधि को लागू करने और उसका समर्थन करने की सिद्ध सक्षमता;
 - (iv) वित्तीय सुदृढ़ता और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता;
 - (v) व्यावसायिक प्रतिष्ठा और संस्कृति, अनुपालन, शिकायतें और लंबित या संभावित कानूनी मामले;
 - (vi) सेवा प्रदाता द्वारा अपने कर्मचारियों और उप-संविदाकारों के प्रति की गई सम्यक जांच की गुणवत्ता;
 - (vii) सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण, लेखापरीक्षा व्याप्ति, रिपोर्टिंग और निगरानी प्रक्रियाएं, और कारोबार निरंतरता प्रबंधन; और



(viii) सेवा प्रदाता जिस क्षेत्राधिकार में काम करता है, उस क्षेत्राधिकार का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और कानूनी वातावरण जैसे बाहरी कारक और अन्य घटनाएँ जो डेटा सुरक्षा और सेवा कार्य-निष्पादन को प्रभावित कर सकती हैं।

31. जहाँ संभव हो, बैंक को अपनी सम्यक जांच के निष्कर्षों को पूरक करने के लिए सेवा प्रदाता पर स्वतंत्र समीक्षा और बाजार प्रतिक्रिया प्राप्त करनी चाहिए।
32. बैंक को यह भी मूल्यांकन करना होगा कि क्या उसके सेवा प्रदाता की प्रणालियाँ बैंक की प्रणालियों के साथ अनुरूप हैं, और क्या ग्राहक सेवा के क्षेत्रों सहित उनके कार्य-निष्पादन मानक स्वीकार करने लायक है।

एफ.2 आउटसोर्सिंग करार

33. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था को अभिशासित करने वाले नियम और शर्तें लिखित करारों में सावधानीपूर्वक परिभाषित हों और बैंक के कानूनी सलाहकार द्वारा उनके विधिक प्रभाव और प्रवर्तनीयता की जांच की जाए। करार में संबंधित जोखिमों और उन्हें कम करने या प्रबंधित करने की रणनीतियों का उचित रूप से आकलन किया जाएगा। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा करार पर्याप्त रूप से लचीला हो ताकि उसे आउटसोर्सिंग पर उचित स्तर का नियंत्रण बनाए रखने और कानूनी तथा विनियामक दायित्वों को पूरा करने के लिए उचित उपायों के साथ हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त हो। करार में पक्षों के बीच कानूनी संबंध अर्थात्, यह एजेंट-प्रधान है या अन्यथा, की प्रकृति को भी स्पष्ट किया जाएगा।
34. करार के कुछ प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (i) आउटसोर्स की जा रही गतिविधि का विवरण, जिसमें उपयुक्त सेवा और कार्य-निष्पादन मानक शामिल हैं;
 - (ii) आउटसोर्स की गई गतिविधि से संबंधित सभी बही-खातों, अभिलेखों और जानकारीयों तक बैंक की पहुंच, जो सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध हैं;
 - (iii) जोखिमों के समग्र प्रबंधन के लिए सेवा प्रदाता की बैंक द्वारा नियमित और निरंतर निगरानी और मूल्यांकन, ताकि कोई भी आवश्यक सुधारात्मक उपाय तुरंत किए जा सकें;



- (iv) इन निदेशों के पैरा 4(2) में उल्लिखित आउटसोर्स गतिविधि के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए सेवा प्रदाता द्वारा उपसंविदाकारों के उपयोग हेतु बैंक द्वारा पूर्व अनुमोदन या सहमति;
- (v) अपने ग्राहकों के डेटा सहित अपने डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए नियंत्रण और सुरक्षा भंग और ऐसी गोपनीय जानकारी के क्षरण होने की स्थिति में सेवा प्रदाता की देयता को शामिल करना;
- (vi) कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक योजनाएँ;
- (vii) बैंक को सेवा प्रदाता का लेखापरीक्षा कराने का अधिकार, चाहे वह उसके आंतरिक या बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा हो या उसकी ओर से नियुक्त एजेंटों द्वारा और बैंक के लिए प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में सेवा प्रदाता पर की गई किसी भी लेखापरीक्षा या समीक्षा रिपोर्ट और निष्कर्षों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार;
- (viii) आरबीआई या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए, संग्रहीत या संसाधित किए गए बैंक के दस्तावेजों, लेनदेन के अभिलेखों और अन्य आवश्यक जानकारियों का उचित समय के भीतर अभिगम प्राप्त करने का अधिकार; इसमें वे मामले भी शामिल हैं जहां भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के नियंत्रक/प्रधान कार्यालय भारतीय परिचालन से संबंधित गतिविधियों को आउटसोर्स करते हैं;
- (ix) आरबीआई का यह अधिकार कि वह अपने एक या अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों या अन्य अधिकृत व्यक्तियों द्वारा सेवा प्रदाता का निरीक्षण करा सके; इसमें वे मामले भी शामिल हैं जहां भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के नियंत्रक/प्रधान कार्यालय भारतीय परिचालन से संबंधित गतिविधियों को आउटसोर्स करते हैं;
- (x) समापन खंड और समापन को लागू करने की न्यूनतम अवधि, यदि आवश्यक समझा जाए;
- (xi) यह प्रावधान कि करार समाप्त होने या रद्द होने के बाद भी ग्राहकों की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी; और
- (xii) यह सुनिश्चित करने के प्रावधान कि सेवा प्रदाता बैंक के विधिक और विनियामक दायित्वों के अनुसार दस्तावेजों और डेटा को संरक्षित रखे।



एफ.3 आउटसोर्स की गई गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण

35. बैंक को अपनी आउटसोर्स गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक प्रबंधन संरचना स्थापित करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सेवा प्रदाता के साथ आउटसोर्सिंग करार में इस संबंध में प्रावधान शामिल हों।
36. बैंक को वित्तीय सेवाओं के सभी महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग का एक केंद्रीय रिकॉर्ड रखना होगा, जिसकी समीक्षा उसके बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा की जाएगी। रिकॉर्ड को समय पर अद्यतन किया जाएगा और अर्धवार्षिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
37. बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षकों या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित लेखापरीक्षा में इन बातों का आकलन किया जाएगा: आउटसोर्सिंग व्यवस्था की देखरेख और प्रबंधन में अपनाई गई जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की पर्याप्तता; बैंक द्वारा अपने जोखिम प्रबंधन ढांचे का और इन निदेशों की आवश्यकताओं का अनुपालन।
38. बैंक को कम से कम वार्षिक आधार पर सेवा प्रदाता की वित्तीय और परिचालन स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए ताकि आउटसोर्सिंग दायित्वों को पूरा करने की उसकी क्षमता का आकलन किया जा सके। ऐसी गहन जांच-पड़ताल, जो सेवा प्रदाता के बारे में उपलब्ध सभी सूचनाओं पर आधारित होगी, कार्य-निष्पादन मानकों, गोपनीयता और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की गिरावट या भंग तथा परिचालन सुदृढ़ता या कारोबार निरंतरता की तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी को उजागर करेगी।
39. कुछ सेवाओं, जैसे कि नकदी प्रबंधन की आउटसोर्सिंग, में बैंक और सेवा प्रदाता (या उसके उप-संविदाकारों) के बीच लेन-देन का मिलान शामिल हो सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके और सेवा प्रदाता (या उसके उप-संविदाकारों) के बीच लेन-देन का मिलान समय पर किया जाए। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि मिलान आरबीआई के [14 मई 2019 के 'नकदी प्रबंधन की आउटसोर्सिंग - लेन-देन का मिलान'](#) संबंधी दिशानिर्देशों, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार किया जाए।



एफ.4 कारोबार निरंतरता और आपातकालीन बहाली (डिजास्टर रिकवरी) योजना का प्रबंधन

40. बैंक को अपने सेवा प्रदाता से कारोबार निरंतरता और बहाली प्रक्रियाओं के दस्तावेजीकरण, रखरखाव और परीक्षण के लिए एक सुदृढ़ ढांचा विकसित और स्थापित करने की आवश्यकता होगी। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा प्रदाता नियमित रूप से कारोबार निरंतरता और बहाली योजना का परीक्षण करे और बैंक अपने सेवा प्रदाता के साथ क्वचित संयुक्त परीक्षण और रिकवरी अभ्यास करने पर भी विचार कर सकता है।
41. एक व्यवहार्य आकस्मिक योजना स्थापित करने में, बैंक को आपात स्थिति में वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता या आउटसोर्स की गई गतिविधि को वापस आंतरिक रूप से करने की संभावना और इसमें शामिल लागत, समय और संसाधनों पर विचार करना चाहिए।
42. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सेवा प्रदाता बैंक की जानकारी, दस्तावेज़, अभिलेख और अन्य परिसंपत्तियों को अलग रखने में सक्षम हों, ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों या करार की समाप्ति की स्थिति में, सेवा प्रदाता के पास मौजूद सभी दस्तावेज़, लेनदेन के अभिलेख और जानकारी तथा बैंक की परिसंपत्तियों को सेवा प्रदाता के कब्जे से हटाया जा सके (ताकि वह अपने कारोबार कार्यों को जारी रख सके) या उन्हें हटाया, नष्ट किया जा सके या अनुपयोगी बनाया जा सके।
43. आउटसोर्सिंग करार का अप्रत्याशित समापन या सेवा प्रदाता के दिवालियापन या परिसमापन के जोखिम को कम करने के लिए, बैंक को अपनी आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर उचित स्तर का नियंत्रण बनाए रखना चाहिए साथ ही अत्यधिक खर्चों और बैंक के संचालन तथा ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में व्यवधान के बिना अपने व्यावसायिक संचालन को जारी रखने के लिए उचित उपायों के साथ हस्तक्षेप करने का अधिकार भी होना चाहिए।

एफ.5 समापन

44. यदि किसी बैंक द्वारा सेवा प्रदाता की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, तो बैंक को:
 - (i) इसका प्रचार-प्रसार करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके ग्राहक सेवा प्रदाता के साथ लेन-देन जारी न रखें; और



(ii) समापन के कारणों के बारे में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को सूचित करना होगा ताकि आईबीए बैंकों के बीच साझा करने के लिए ऐसे सेवा प्रदाताओं की एक सतर्कता सूची बनाए रख सके।

जी. विशिष्ट आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएं

जी.1 समूह / संगुट के भीतर आउटसोर्सिंग

45. (1) समूह संरचना में, बैंक के समूह संस्थाओं के साथ बैंक-ऑफिस और सेवा व्यवस्था या करार हो सकते हैं, जैसे कि परिसर साझा करना, कानूनी और अन्य पेशेवर सेवाएं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और केंद्रीकृत बैंक-ऑफिस कार्य; कुछ वित्तीय सेवाओं को अन्य समूह संस्थाओं को आउटसोर्स करना। सिद्धांत रूप में, किसी संबंधित पक्ष (अर्थात समूह/संगुट के भीतर का पक्ष) को आउटसोर्सिंग करते समय बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली जोखिम प्रबंधन प्रथाएं गैर-संबंधित पक्ष के लिए अपनाई जाने वाली प्रथाओं के समान होनी चाहिए।

(2) इस प्रकार की व्यवस्था करते समय, बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि:

(i) इसमें सेवाओं के दायरे, सेवाओं के लिए शुल्क और ग्राहक के डेटा की गोपनीयता बनाए रखने जैसे विवरणों को लिखित करार में उचित रूप से प्रलेखित किया जाता है;

(ii) इससे ग्राहकों को उन उत्पादों/सेवाओं के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए जिनका वे लाभ उठा रहे हैं;

(iii) इससे बैंक की स्वतंत्र रूप से जोखिम की पहचान करने और उसका प्रबंधन करने की क्षमता प्रभावित न हो;

(iv) इससे बैंक की सुरक्षा और सुदृढ़ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

(v) यह आरबीआई को पर्यवेक्षण के लिए बैंक या पूरे समूह संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने से न रोके; और

(vi) लिखित करार में एक ऐसा खंड शामिल हो जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो कि किसी भी सेवा प्रदाता के लिए बैंक की गतिविधियों के संबंध में आरबीआई द्वारा दिए गए निदेशों का पालन करना अनिवार्य है।



- (3) बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि समूह की संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए परिसर या अन्य सेवाएं (जैसे आईटी सिस्टम और सहायक स्टाफ) अनुपलब्ध हो जाती हैं, तो भी उसके सुचारू रूप से संचालन करने की क्षमता प्रभावित न हो।
- (4) यदि प्रतिविक्रय के उद्देश्य से बैंक के परिसर को समूह की संस्थाओं के साथ साझा किया जाता है, तो बैंक को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने होंगे कि संस्था की पहचान ग्राहकों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। समूह संस्था द्वारा उपयोग किए जाने वाले विपणन ब्रोशर और बैंक परिसर में उसके स्टाफ/एजेंट द्वारा किए गए मौखिक संप्रेषण में बैंक के साथ संस्था की व्यवस्था की प्रकृति का उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि ग्राहकों को उत्पाद के विक्रेता के बारे में स्पष्ट जानकारी हो सके।
- (5) कोई भी बैंक ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा या ऐसा कोई करार नहीं करेगा जिसमें यह उल्लेख किया गया हो या सुझाव दिया गया हो या निहित प्रभाव दिया गया हो कि वह अपने समूह की संस्थाओं के दायित्वों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार है।

जी.2 अपतटीय आउटसोर्सिंग

46. सिद्धांत रूप में, आउटसोर्सिंग व्यवस्था केवल उन पक्षों के साथ की जाएगी जो ऐसे अधिकारक्षेत्रों में काम करते हैं जो गोपनीयता करारों और शर्तों का पालन करते हैं।
47. किसी विदेशी देश में सेवा प्रदाता(ओं) के साथ अनुबंध करते समय, बैंक को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:
- (i) जोखिम मूल्यांकन के दौरान और निरंतर आधार पर, सेवा प्रदाता जिस क्षेत्राधिकार में स्थित है, वहां की सरकारी नीतियों और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी स्थितियों की बारीकी से निगरानी करना और देश जोखिम से निपटने के लिए सुदृढ़ प्रक्रियाएं स्थापित करना। इसमें उचित आकस्मिकता और निकास रणनीतियां शामिल हैं;
 - (ii) आउटसोर्सिंग व्यवस्था के शासी कानून को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना;
 - (iii) यह सुनिश्चित करना कि सेवा प्रदाता या अपतटीय संरक्षक के परिसमापन की स्थिति में भी बैंक और आरबीआई को अभिलेखों की उपलब्धता प्रभावित न हो;



(iv) यह सुनिश्चित करना कि भारत से बाहर आउटसोर्स की गई गतिविधियाँ इस प्रकार संचालित की जाएँ जिससे बैंक की गतिविधियों की समयबद्ध निगरानी या पुनर्गठन के प्रयासों में बाधा न आए;

(v) यह सुनिश्चित करना कि यदि अपतटीय सेवा प्रदाता एक विनियमित संस्था है, तो संबंधित अपतटीय विनियामक न तो व्यवस्था में बाधा डालेगा और न ही आरबीआई द्वारा बैंक के निरीक्षण या आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों के दौरों पर आपत्ति जताएगा;

(vi) यह सुनिश्चित करना कि अपतटीय स्थान के विनियामक प्राधिकारी को बैंक के भारतीय परिचालन से संबंधित डेटा केवल इस आधार पर प्राप्त न हो कि प्रसंस्करण वहां किया जा रहा है;

(vii) यह सुनिश्चित करना कि डेटा को बनाए रखने वाले अपतटीय स्थान पर स्थित न्यायालयों का क्षेत्राधिकार इस तथ्य के आधार पर भारत में बैंक के संचालन तक विस्तारित न हो कि डेटा को वहां संसाधित किया जा रहा है, भले ही वास्तविक लेनदेन भारत में किए जाते हों; और

(viii) यह सुनिश्चित करना कि सभी मूल अभिलेख भारत में ही रखे जाते रहें।

48. बैंक के विदेशी परिचालन इन निदेशों और मेजबान देश के दिशानिर्देशों दोनों द्वारा अभिशासित होंगे और यदि इनमें कोई अंतर हो, तो दोनों में से जो अधिक कठोर हो, वही मान्य होगा। हालांकि, यदि कोई विरोधाभास हो, तो मेजबान देश के दिशानिर्देश ही मान्य होंगे।

एच. आउटसोर्स की गई सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण

49. किसी बैंक द्वारा किए गए आउटसोर्सिंग करारों से बैंक के विरुद्ध उसके ग्राहकों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसमें ग्राहकों की प्रासंगिक कानूनों के तहत लागू निवारण प्राप्त करने की क्षमता भी शामिल है।
50. यदि ग्राहकों को बैंक के साथ लेन-देन की प्रक्रिया में किसी सेवा प्रदाता से संपर्क करना आवश्यक हो, तो बैंक संबंधित उत्पाद साहित्य और ब्रोशर में एक खंड शामिल करेगा जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि सेवा प्रदाता की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें उत्पादों की बिक्री और विपणन भी शामिल है। सेवा प्रदाता की भूमिका को व्यापक शब्दों में दर्शाया जा सकता है।



51. बैंक के पास एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, जिसमें आउटसोर्सिंग के कारण किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अर्थात् आउटसोर्स की गई सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के निवारण की जिम्मेदारी बैंक की होगी। सूक्ष्म वित्त ऋणों के मामले में, ऋण करार में और बैंक के कार्यालय, शाखा परिसर और वेबसाइट पर प्रदर्शित उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) में यह घोषणा की जानी चाहिए कि (i) बैंक सेवा प्रदाता के कर्मचारियों के अनुचित व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा और (ii) समय पर शिकायत निवारण प्रदान करेगा।

52. उपर्युक्त के अतिरिक्त,

(1) बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – जिम्मेदार कारोबार आचरण) निदेश 2025 के प्रावधानों के अनुसार शिकायत निवारण तंत्र का गठन करेगा और इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से बैंक के भीतर इसका व्यापक प्रचार करेगा;

(2) बैंक के नामित शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर सार्वजनिक किया जाएगा और व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा। नामित अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों की वास्तविक शिकायतों का शीघ्र और बिना विलंब के निवारण किया जाए। यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा कि बैंक की शिकायत निवारण प्रणाली सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित मुद्दों से भी निपटेगी; और

(3) शिकायतों का जवाब देने के लिए निर्धारित समय सीमा (अधिकतम 30 दिन) बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी बैंक द्वारा शिकायत को पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है और शिकायतकर्ता जवाब से संतुष्ट नहीं होता है या बैंक द्वारा शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो शिकायतकर्ता के पास आरबीआई की एकीकृत ओम्बड्समैन योजना 2021 के तहत शिकायत निवारण का विकल्प होगा।



अध्याय IV - सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं की आउटसोर्सिंग

ए. परिभाषाएं

53. इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ प्रयुक्त शब्दों का वही अर्थ होगा जो नीचे दिया गया है:

- (1) **‘आईटी सेवाओं’** से तात्पर्य आईटी सेवाएं / आईटी सक्षम सेवाएं / आईटी गतिविधियां है।
- (2) **‘आईटी सेवाओं की महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग’** वे हैं जो:
 - (i) यदि इसमें व्यवधान उत्पन्न होता है या इसमें छेड़छाड़ होती है तो इससे बैंक के कारोबार संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना होगी; या
 - (ii) ग्राहक की जानकारी तक अनधिकृत एक्सेस, हानि या चोरी होने की स्थिति में बैंक के ग्राहकों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है;
- (3) **‘सेवा प्रदाता’** से तात्पर्य आईटी सेवाओं के प्रदाताओं से है, जिनमें बैंक से संबंधित संस्थाएं या वे संस्थाएं शामिल हैं जो उसी समूह या संगुट से संबंधित हैं जिससे बैंक संबंधित है।

बशर्ते कि इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, वेंडर और संस्थाओं की निम्नलिखित सांकेतिक (परंतु संपूर्ण नहीं) सूची को ऊपर परिभाषित 'सेवा प्रदाता' नहीं माना जाएगा:

 - (i) आईटी का उपयोग करके कारोबार सेवाएं प्रदान करने वाले वेंडर (उदाहरण के लिए, बीसी);
 - (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में भुगतान प्रणाली स्थापित करने और संचालित करने के लिए अधिकृत भुगतान प्रणाली संचालक (पीएसओ);
 - (iii) साझेदारी आधारित फिनटेक फर्मों, जैसे कि सह-ब्रांडेड एप्लिकेशन, उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने वाली फर्मों (अध्याय III में वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग के अंतर्गत मानी जाएंगी);



(iv) डेटा पुनर्प्राप्ति, डेटा सत्यापन और प्रमाणीकरण जैसी सेवाएं प्रदान करने वाली फिनटेक कंपनियां, जैसे बैंक स्टेटमेंट विश्लेषण, जीएसटी रिटर्न विश्लेषण, वाहन जानकारी प्राप्त करना, डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन, डेटा एंट्री और कॉल सेंटर सेवाएं;

(v) दूरसंचार सेवा प्रदाता जिनसे पट्टे पर ली गई लाइनें या इसी तरह की अन्य अवसंरचना का उपयोग डेटा के प्रसारण के लिए किया जाता है; और

(vi) स्वतंत्र तृतीय-पक्ष लेखापरीक्षक, सलाहकार, या प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता के रूप में अपनी भूमिका में आईटी अवसंरचना, आईटी सेवाओं या सूचना सुरक्षा सेवाओं से संबंधित प्रमाणीकरण, लेखापरीक्षा या वीए/पीटी के लिए नियुक्त सुरक्षा या लेखापरीक्षा सलाहकार।

स्पष्टीकरण: यदि कोई आईटी सेवा किसी आरई द्वारा किसी बैंक को प्रदान की जाती है (जैसा कि इस अध्याय के अंतर्गत निदेशों के दायरे में लागू होता है), तो आरई को भी इस अध्याय के अंतर्गत बैंक का सेवा प्रदाता माना जा सकता है।

(4) 'उप-संविदाकार' से तात्पर्य सेवा प्रदाता को महत्वपूर्ण आईटी सेवाएं प्रदान करने वालों से है और यह महत्वपूर्ण आईटी सेवाओं की व्यवस्था के लिए विशिष्ट है जो बैंक ने सेवा प्रदाता के साथ की है।

बी. प्राधिकरण, जवाबदेही और निगरानी

54. इन निदेशों के पैरा 18 के उप- पैरा (i) से (v) में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करने के अतिरिक्त, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा प्रदाता, यदि वह समूह कंपनी नहीं है, तो बैंक के किसी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अनुमोदक या उनके रिश्तेदारों के स्वामित्व या नियंत्रण में न हो। 'नियंत्रण', 'निदेशक', 'प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक' और 'रिश्तेदार' शब्दों का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अंतर्गत समय-समय पर निर्मित नियमों में दिया गया है।

बशर्ते कि उपर्युक्त आवश्यकता में अपवाद बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति के अनुमोदन से किया जा सकता है, जिसके बाद ऐसी व्यवस्थाओं का उचित प्रकटीकरण, निरीक्षण और निगरानी की जाएगी।



55. बैंक को आईटी सेवाओं के आउटसोर्सिंग की आवश्यकता का मूल्यांकन, इससे जुड़े लाभों, जोखिमों और उन जोखिमों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं की उपलब्धता के व्यापक आकलन के आधार पर करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, बैंक को *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए:
- (i) आउटसोर्स की जाने वाली सेवा की महत्ता / अहमियत के आधार पर आउटसोर्सिंग की आवश्यकता;
 - (ii) आउटसोर्सिंग से अपेक्षाएँ और परिणाम;
 - (iii) सफलता के कारक और लागत-लाभ विश्लेषण; और
 - (iv) आउटसोर्सिंग का मॉडल।
56. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि साइबर घटनाओं की सूचना सेवा प्रदाता द्वारा बिना किसी अनुचित देरी के उसे दी जाए, ताकि सेवा प्रदाता द्वारा घटना का पता चलने के छह घंटे के भीतर बैंक द्वारा आरबीआई को घटना की सूचना दी जा सके।

सी. अभिशासन ढांचा

सी.1 आउटसोर्सिंग नीति

57. कोई भी बैंक जो अपनी आईटी सेवाओं को आउटसोर्स करना चाहता है, उसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक आईटी आउटसोर्सिंग नीति बनानी होगी, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल हों:
- (i) आईटी सेवाओं के आउटसोर्सिंग के संबंध में बोर्ड, बोर्ड की समितियों (यदि कोई हो) और वरिष्ठ प्रबंधन, आईटी कार्य, कारोबार कार्य और निगरानी एवं आश्वासन कार्यों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ;
 - (ii) ऐसी सेवाओं और सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए मानदंड;
 - (iii) इन निदेशों के पैरा 53(2) में परिभाषित व्यापक मानदंडों के आधार पर महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग को परिभाषित करने के लिए पैरामीटर;
 - (iv) जोखिम और महत्ता के आधार पर अधिकार का प्रत्यायोजन;



- (v) आपातकालीन बहाली और कारोबार निरंतरता योजनाएँ;
- (vi) इन सेवाओं के संचालन की निगरानी और समीक्षा करने के लिए प्रणालियाँ; और
- (vii) समापन प्रक्रियाएँ और निकास रणनीतियाँ, जिसमें सेवा प्रदाता द्वारा आउटसोर्सिंग व्यवस्था से बाहर निकलने की स्थिति में कारोबार निरंतरता शामिल है।

सी.2 वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका

58. बैंक का वरिष्ठ प्रबंधन, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

- (i) आईटी आउटसोर्सिंग नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करना, मौजूदा और संभावित सभी आईटी आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं के जोखिमों और महत्ता का मूल्यांकन करना, जो कि जटिलता, प्रकृति और दायरे के अनुरूप ढांचे पर आधारित हो और बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक के उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन के अनुरूप हो तथा उसका कार्यान्वयन करना;
- (ii) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर भावी आईटी आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं का पूर्व मूल्यांकन और मौजूदा आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं का आवधिक मूल्यांकन, जिसमें सभी व्यवस्थाओं की कार्य निष्पादन समीक्षा, महत्व और संबंधित जोखिम शामिल हैं;
- (iii) आईटी आउटसोर्सिंग से जुड़े जोखिमों की पहचान करना, उनकी निगरानी करना, उन्हें कम करना, उनका प्रबंधन करना और समय पर बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति को उनकी रिपोर्ट देना;
- (iv) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी सेवा प्रदाता के बाहर निकलने सहित, वास्तविक और संभावित व्यवधानकारी परिदृश्यों पर आधारित उपयुक्त कारोबार निरंतरता योजनाएँ मौजूद हों और उनका समय-समय पर परीक्षण किया जाता है;
- (v) यह सुनिश्चित करना कि (क) सेवा प्रदाता (और उसके उपसंविदाकारों) पर डेटा गोपनीयता के लिए प्रभावी निगरानी रखी जाए और (ख) ग्राहकों की शिकायतों का समय पर उचित निवारण किया जाए;



(vi) विधानों, विनियमों, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और कार्य निष्पादन मानकों के अनुपालन के लिए आवधिक आधार पर स्वतंत्र समीक्षा तथा लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना और इसकी रिपोर्ट बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति को प्रस्तुत करना; और

(vii) आउटसोर्स सेवाओं की उचित निगरानी के लिए बैंक के भीतर आवश्यक कौशल सेट के साथ आवश्यक क्षमता का सृजन करना।

सी.3 आईटी कार्य की भूमिका

59. बैंक के आईटी कार्य की जिम्मेदारियों में *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (1) बैंक में आईटी आउटसोर्सिंग जोखिम के स्तर की पहचान करने, मापने, निगरानी करने, कम करने और प्रबंधन करने में वरिष्ठ प्रबंधन की सहायता करना;
- (2) यह सुनिश्चित करना कि सभी आईटी आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं का एक केंद्रीय डेटाबेस बनाए रखा जाए और बोर्ड, वरिष्ठ प्रबंधन, लेखा परीक्षकों और पर्यवेक्षकों द्वारा समीक्षा के लिए वह उपलब्ध हो;
- (3) आउटसोर्स की गई आईटी सेवा की प्रभावी ढंग से निगरानी और पर्यवेक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवा प्रदाता निर्धारित कार्य निष्पादन मानकों को पूरा करता है और निर्बाध सेवाएं प्रदान करता है, वरिष्ठ प्रबंधन को रिपोर्ट करना, आवधिक सम्यक जांच का समन्वय करना और यदि कोई चिंता हो तो उसे उजागर करना; और
- (4) सेवा स्तर प्रबंधन, विक्रेता परिचालन की निगरानी, प्रमुख जोखिम संकेतकों और निर्धारित जोखिम के अनुसार विक्रेताओं को वर्गीकृत करने सहित संविदात्मक करारों के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करना।

डी. जोखिम प्रबंधन

डी.1 जोखिम प्रबंधन ढांचा

60. बैंक को एक जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित करना होगा जो इस प्रकार की आईटी आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं से जुड़े जोखिमों की पहचान, माप, न्यूनीकरण, प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों को व्यापक रूप से करता हो।



61. बैंक को निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन और आईटी विभाग की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुरूप आवश्यक अनुमोदनों के साथ जोखिम आकलन को उचित रूप से दस्तावेजीकृत करना होगा और इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार आवधिक आधार पर आंतरिक और बाहरी गुणवत्ता आश्वासन के अधीन करना होगा।
62. बैंक को एक ही सेवा प्रदाता के साथ कई आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं द्वारा उत्पन्न संकेंद्रण जोखिम के प्रभाव और सीमित संख्या में सेवा प्रदाताओं को महत्वपूर्ण या आवश्यक कार्यों की आउटसोर्सिंग द्वारा उत्पन्न संकेंद्रण जोखिम का प्रभावी ढंग से आकलन करना चाहिए।

डी.2 जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा

63. बैंक अपने ग्राहकों से संबंधित डेटा और जानकारी की गोपनीयता और अखंडता के लिए जिम्मेदार होगा जो सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध है।
64. इस संबंध में, बैंक को इन निदेशों के पैरा 23 से पैरा 26 में दिए गए निदेशों का पालन करना होगा और इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना होगा कि:

(1) सेवा प्रदाताओं द्वारा बैंक या उसके डेटा सेंटर में मौजूद डेटा तक पहुंच 'आवश्यकतानुसार' आधार पर होगी, जिसमें सुरक्षा उल्लंघनों या डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित नियंत्रण लागू होंगे;

(2) एकाधिक सेवा प्रदाता संबंधों की स्थिति में, जहां दो या अधिक सेवा प्रदाता संपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए सहयोग करते हैं, बैंक उन सभी सेवा प्रदाताओं के नियंत्रण वातावरण को समझने और उसकी निगरानी करने के लिए उत्तरदायी रहेगा, जिनकी पहुंच उसके डेटा, सिस्टम, रिकॉर्ड या संसाधनों तक है;

(3) सुरक्षा उल्लंघन और गोपनीय ग्राहक-संबंधी जानकारी के लीक होने की स्थिति में बैंक तत्काल आरबीआई को सूचित करेगा। इन परिस्थितियों में, बैंक घटना प्रतिक्रिया और रिकवरी प्रबंधन पर आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मौजूदा अनुदेशों का पालन करेगा।

65. पैरा 26 में निर्धारित आवश्यकता के संबंध में कि डेटा को संयोजित या मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए, यह पर्याप्त होगा यदि डेटा (बैंक और उसके ग्राहक विशिष्ट डेटा तथा जानकारी) का स्पष्ट



पृथक्करण और अलगाव हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल बैंक द्वारा अधिकृत कर्मी ही बहु-उपयोगकर्ता स्थिति / संरचना में अपने डेटा का अभिगम प्राप्त कर सकें।

ई. आउटसोर्सिंग प्रक्रिया

ई.1 सेवा प्रदाता मूल्यांकन

66. वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में पैरा 29 से 31 में निहित सेवा प्रदाता मूल्यांकन संबंधी निदेश, यथोचित परिवर्तनों सहित, निम्नलिखित अतिरिक्त के साथ, आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर भी लागू होंगे:

- (i) प्रौद्योगिकी, अवसंरचनात्मक स्थिरता, डेटा बैकअप व्यवस्था और आपातकालीन बहालीयोजना;
- (ii) हितों का टकराव, यदि कोई हो;
- (iii) बैंक के डेटा की पहचान और पृथक्करण करने की क्षमता;
- (iv) आउटसोर्सिंग व्यवस्था की विनियामक और कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने की क्षमता;
- (v) सूचना/साइबर सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन;
- (vi) यह सुनिश्चित करना कि सेवा प्रदाता द्वारा संसाधित, प्रबंधित या संग्रहीत डेटा की सुरक्षा और बैंक का उस डेटा तक अभिगम सुनिश्चित करने के लिए उचित नियंत्रण, आश्वासन आवश्यकताएं और संभावित संविदात्मक व्यवस्थाएं मौजूद हैं;
- (vii) गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने की क्षमता, विशेष रूप से जहां सेवा प्रदाता कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है; और
- (viii) करार को लागू करने की क्षमता और उनके तहत उपलब्ध अधिकार, जिनमें डेटा भंडारण, डेटा संरक्षण और गोपनीयता जैसे पहलुओं से संबंधित अधिकार शामिल हैं।

67. बैंक को इस प्रकार की सम्यक जांच गतिविधियों को करने में जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।



ई.2 आउटसोर्सिंग करार

68. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकार और दायित्व तथा प्रत्येक सेवा प्रदाता के अधिकार और दायित्व इन निदेशों के पैरा 33 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप, कानूनी रूप से बाध्यकारी लिखित करार में स्पष्ट रूप से परिभाषित और निर्धारित हों। सिद्धांत रूप में, समझौते के प्रावधानों में बैंक के कारोबार के लिए आउटसोर्स किए गए कार्य की गंभीरता, उससे जुड़े जोखिम और उन्हें कम करने या प्रबंधित करने की रणनीतियों का उचित रूप से ध्यान रखा जाएगा।
69. पैरा 34 के उप-पैरा (i) से (vii) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अतिरिक्त, बैंक को आईटी सेवाओं के आउटसोर्सिंग के किसी भी करार में (इस अध्याय में दिए गए निदेशों के दायरे के अनुसार) कम से कम निम्नलिखित पहलुओं को भी शामिल करना होगा:
- (i) सेवा प्रदाता के उपसंविदाकारों के लिए सेवा और कार्य निष्पादन मानकों से संबंधित प्रावधान [पैरा 34 का उपपैरा (i)] और बैंक का लेखापरीक्षा करने का अधिकार [पैरा 34 का उपपैरा (vii)];
 - (ii) आउटसोर्स की गई सेवा से संबंधित सभी डेटा, बही-खातों, अभिलेखों, जानकारी लॉग, अलर्ट और कारोबार परिसरों तक बैंक का अभिगम, जो सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध हैं;
 - (iii) आउटसोर्स की गई सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतिकूल घटनाओं के प्रकार (जैसे, डेटा उल्लंघन, सेवा से इनकार और सेवा की अनुपलब्धता) और बैंक को रिपोर्ट की जाने वाली घटनाएं, ताकि बैंक त्वरित जोखिम निवारण उपाय कर सके और सांविधिक और विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके;
 - (iv) ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और अन्य लागू कानूनी आवश्यकताओं और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन;
 - (v) सेवा स्तरीय करारों (एसएलए) सहित वे प्रदेय जो सेवा स्तरों की गुणवत्ता और मात्रा को मापने के लिए कार्य निष्पादन मानदंडों को औपचारिक रूप देते हैं;
 - (vi) मौजूदा विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार केवल भारत में ही डेटा का भंडारण (जैसा लागू हो);



- (vii) सेवा प्रदाता को कैचर, संसाधित और संग्रहीत किए गए डेटा (बैंक और उसके ग्राहकों से संबंधित) का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता वाले खंड;
- (viii) सेवा प्रदाता (वेंडर) को बैंक के ग्राहक और/या किसी अन्य पक्ष के साथ साझा करने की अनुमति प्राप्त डेटा/जानकारी के प्रकार;
- (ix) समाधान प्रक्रिया, चूक की घटनाएं, क्षतिपूर्ति, उपाय और संबंधित पक्षों के लिए उपलब्ध उपाय;
- (x) परीक्षण आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक योजना(एं);
- (xi) सेवा प्रदाता से आपूर्ति श्रृंखला में शामिल तृतीय पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार;
- (xii) आउटसोर्सिंग व्यवस्था के दायरे के संबंध में और यथा लागू आरबीआई या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति(यों) को सेवा प्रदाता और उसके किसी भी उप-संविदाकार का निरीक्षण करने और बैंक के आईटी अवसंरचना, एप्लिकेशन, डेटा, दस्तावेजों और सेवा प्रदाता/या उसके उप-संविदाकारों को दी गई, द्वारा संग्रहीत या संसाधित की गई अन्य आवश्यक जानकारी को एक्सेस करने का अधिकार;
- (xiii) वे खंड जो सेवा प्रदाता को उसके संविदाकारों के कार्य निष्पादन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के लिए संविदात्मक रूप से उत्तरदायी बनाते हैं;
- (xiv) बैंक द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट संविदात्मक नियमों और शर्तों के माध्यम से सेवा प्रदाता को आउटसोर्स की गई सेवाओं के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का पालन करने का सेवा प्रदाता का दायित्व;
- (xv) बैंक का समापन अधिकार, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर या वांछनीय होने पर प्रस्तावित आउटसोर्सिंग व्यवस्था को किसी अन्य सेवा प्रदाता को व्यवस्थित रूप से हस्तांतरित करने की क्षमता शामिल है;
- (xvi) बैंक के दिवालियापन या समाधान की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग करने का सेवा प्रदाता की बाध्यता;



(xvii) मुख्य सेवाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं के कुशल संसाधनों को 'आवश्यक कर्मियों' के रूप में मानने का प्रावधान ताकि महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित करने के लिए आवश्यक बैकअप व्यवस्था के साथ सीमित संख्या में कर्मचारी आपात स्थितियों (महामारी की स्थितियों सहित) के दौरान साइट पर काम कर सकें;

(xviii) सेवा प्रदाताओं और ओईएम के बीच उपयुक्त बैक-टू-बैक व्यवस्था की आवश्यकता वाला खंड; और

(xix) सेवा प्रदाता द्वारा रखी गई जानकारी के संबंध में गैर-प्रकटीकरण करार की आवश्यकता वाला खंड।

ई.3 आउटसोर्स की गई सेवाओं की निगरानी और नियंत्रण

70. बैंक के पास अपनी आउटसोर्स सेवाओं की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक प्रबंधन संरचना होनी चाहिए। इसमें (इस अध्याय में दिए गए निर्देशों के दायरे के अनुसार), कार्य निष्पादन की निगरानी, प्रणालियों और संसाधनों का अपटाइम, सेवा उपलब्धता, एसएलए आवश्यकताओं का अनुपालन और घटना प्रतिक्रिया तंत्र शामिल होगी, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगी।
71. बैंक द्वारा आउटसोर्स की गई सेवाओं के संबंध में सेवा प्रदाताओं (उप-संविदाकारों सहित) की नियमित लेखापरीक्षा (इस अध्याय में दिए गए निर्देशों के दायरे में लागू) कराई जाएगी। ऐसी लेखापरीक्षा बैंक की ओर से नियुक्त आंतरिक या बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा कराई जा सकती है।
72. विभिन्न आईटी सेवाओं को आउटसोर्स करते समय, एक से अधिक आरई एक ही तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता से सेवाएं ले सकती हैं। ऐसे परिदृश्यों में, एक ही सेवा प्रदाता के लिए अलग-अलग आरई द्वारा अलग-अलग ऑडिट करने के बजाय, वे संयुक्त (साझा) ऑडिट का विकल्प चुन सकती हैं। इससे संबंधित आरई को अपने ऑडिट संसाधनों को साझा करने या किसी स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिटर को संयुक्त रूप से एक ही सेवा प्रदाता का ऑडिट करने की सुविधा मिलती है। हालांकि, ऐसा करते समय, आरई की यह जिम्मेदारी होगी कि वे सेवा प्रदाता के साथ अपनी-अपनी संविदा से संबंधित ऑडिट आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करें।
73. लेखापरीक्षाओं में अन्य बातों के साथ-साथ सेवा प्रदाता के कार्य निष्पादन, सेवा प्रदाता द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन पद्धतियों की पर्याप्तता और कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन का आकलन



किया जाएगा। लेखापरीक्षा की आवृत्ति जोखिम की प्रकृति और सीमा तथा आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं से बैंक पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर निर्धारित की जाएगी। निगरानी एवं नियंत्रण गतिविधियों पर रिपोर्टों की वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और किसी भी प्रतिकूल घटनाक्रम की स्थिति में, इसकी जानकारी बोर्ड को दी जाएगी।

74. जोखिम मूल्यांकन के आधार पर, बैंक स्वतंत्र ऑडिट कराने के बजाय सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त तृतीय-पक्ष प्रमाणण पर भी भरोसा कर सकता है। हालांकि, इससे बैंक सेवा प्रदाता के यहां डेटा सुरक्षा (सिस्टम की उपलब्धता सहित) सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियंत्रणों और प्रक्रियाओं की पुष्टि करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा।
75. बैंक को समय-समय पर सेवा प्रदाता की वित्तीय और परिचालन स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए ताकि उसकी दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का आकलन किया जा सके। बैंक को समीक्षा की अवधि निर्धारित करते समय जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ऐसी गहन जांच में कार्य निष्पादन मानकों, गोपनीयता, सुरक्षा और परिचालन लचीलेपन की तैयारी में किसी भी प्रकार की गिरावट या उल्लंघन को उजागर किया जाना चाहिए।
76. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अधीन, बैंक, उसके लेखा परीक्षकों, आरबीआई और अन्य संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा कानून के तहत अधिकृत प्रभावी निरीक्षण के उद्देश्य से सेवा प्रदाता (क) आउटसोर्स की गई सेवाओं से संबंधित डेटा; (ख) सेवा प्रदाता के संबंधित व्यावसायिक परिसर तक अप्रतिबंधित और प्रभावी एक्सेस प्रदान करे।

ई.4 आउटसोर्स की गई सेवाओं की सूची

77. बैंक को सेवा प्रदाताओं को आउटसोर्स की गई आईटी सेवाओं की सूची बनानी होगी (जिसमें उनकी आपूर्ति श्रृंखला में शामिल प्रमुख संस्थाएं भी शामिल हों)। इसके अलावा, बैंक को तृतीय पक्षों पर अपनी निर्भरता का आकलन करना होगा और सेवा प्रदाताओं से प्राप्त जानकारी का समय-समय पर मूल्यांकन करना होगा।

ई.5 कारोबार निरंतरता और आपातकालीन बहालीयोजना का प्रबंधन

78. वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में पैरा 40 से पैरा 43 में दिए गए 'कारोबार निरंतरता और आपातकालीन बहालीयोजना' संबंधी निदेश, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ, सूचना प्रौद्योगिकी



सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर भी लागू होंगे। आउटसोर्स की गई सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपातकालीन बहालीयोजना (डीआरपी) आउटसोर्स की गई सेवा की प्रकृति और दायरे के अनुरूप होनी चाहिए, जैसा कि आरबीआई द्वारा समय-समय पर बीसीपी/डीआरपी आवश्यकताओं पर जारी किए गए मौजूदा अनुदेशों में उल्लेख किया गया है।

ई.6 निकास रणनीति

79. आईटी आउटसोर्सिंग नीति में निकास के दौरान और उसके बाद कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट निकास रणनीति शामिल होनी चाहिए।
80. रणनीति में सेवाओं से निकास या समापन करने के विभिन्न परिदृश्यों के लिए योजनाएं शामिल होंगी, जिनमें आवश्यकतानुसार ऐसी योजनाओं को निष्पादित करने के लिए न्यूनतम अवधि का प्रावधान होगा।
81. अपनी निकास रणनीति का दस्तावेजीकरण करते समय, बैंक को अन्य बातों के साथ-साथ, वैकल्पिक व्यवस्थाओं की पहचान करनी होगी, जिसमें किसी भिन्न सेवा प्रदाता द्वारा या स्वयं बैंक द्वारा सेवा प्रदान करना शामिल हो सकता है।
82. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि आउटसोर्सिंग करार में डेटा, हार्डवेयर और सभी अभिलेखों (डिजिटल और भौतिक) को सुरक्षित रूप से हटाने या नष्ट करने संबंधी आवश्यक खंड शामिल हों। इसके अतिरिक्त, आउटसोर्सिंग करार में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सेवा प्रदाता को संक्रमणकालीन अवधि के दौरान किसी भी डेटा को मिटाने, हटाने, रद्द करने, वापस लेने या परिवर्तित करने से प्रतिबंधित किया जाए, जब तक कि विनियामक या संबंधित बैंक द्वारा विशेष रूप से ऐसा करने के लिए सूचित न किया जाए।
83. सेवा प्रदाता सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए बैंक और उसके नए सेवा प्रदाता (प्रदाताओं) दोनों के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगा।

ई.7 समापन

84. यदि किसी कारणवश आउटसोर्सिंग करार समाप्त हो जाता है और सेवा प्रदाता बैंक के ग्राहकों से व्यवहार करता है, तो बैंक द्वारा इसकी उचित सूचना सार्वजनिक की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक संबंधित सेवा प्रदाता से व्यवहार करना बंद कर दें।



एफ. विशिष्ट आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएं

एफ.1 समूह / संगुट के भीतर आउटसोर्सिंग

85. बैंक अपने व्यावसायिक समूह/ संगुट के भीतर किसी भी आईटी सेवा को आउटसोर्स कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी व्यवस्था बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति द्वारा समर्थित हो और उसके समूह संस्थाओं के साथ उचित एसएलए/करार मौजूद हों।
86. समूह संस्था का चयन वस्तुनिष्ठ कारणों पर आधारित होगा जो किसी तीसरे पक्ष के चयन के समान हों और बैंक को ऐसे आउटसोर्सिंग व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले हितों के किसी भी टकराव से उचित रूप से निपटना होगा।
87. बैंक को अपने समूह की संस्थाओं के साथ लेन-देन में हमेशा निष्पक्ष और स्वतंत्र व्यावसायिक संबंध बनाए रखना चाहिए। समूह की किसी संस्था को आउटसोर्सिंग करते समय बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली जोखिम प्रबंधन पद्धतियाँ, किसी गैर-संबंधित पक्ष के लिए निर्दिष्ट पद्धतियों के समान होनी चाहिए।

एफ.2 अपतटीय या सीमापारीय आउटसोर्सिंग

88. सिद्धांत रूप में, आउटसोर्सिंग व्यवस्था केवल उन पक्षों के साथ की जाएगी जो ऐसे अधिकारक्षेत्रों में काम करते हैं जो गोपनीयता खंडों और करार का पालन करते हैं।
89. विदेश में सेवा प्रदाता(ओं) के साथ कार्य करते समय, बैंक को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:
 - (i) सेवा प्रदाता जिस क्षेत्राधिकार में स्थित है, वहां की सरकारी नीतियों और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी स्थितियों की निरंतर निगरानी करना और देश के जोखिम को कम करने के लिए ठोस प्रक्रियाएं स्थापित करना। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उचित आकस्मिकता और निकास रणनीतियां शामिल हैं;
 - (ii) आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अभिशासी कानून को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना;
 - (iii) यह सुनिश्चित करना कि सेवा प्रदाता के परिसमापन की स्थिति में भी बैंक और आरबीआई को अभिलेखों की उपलब्धता प्रभावित न हो;



(iv) विदेशी क्षेत्राधिकार में स्थित सेवा प्रदाता की लेखापरीक्षा या निरीक्षण निर्देशित करने और संचालित करने के बैंक और आरबीआई के अधिकार को सुनिश्चित करना; और

(v) यह सुनिश्चित करना कि व्यवस्था सभी सांविधिक आवश्यकताओं के साथ-साथ आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनियमों का अनुपालन करती है।

एफ.3 सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की आउटसोर्सिंग

90. बैंक द्वारा सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) के संचालन को आउटसोर्स करने से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि डेटा का बाहरी स्थान पर संग्रहीत और संसाधित होना और सेवा प्रदाता (या उसके उप-संविदाकारों) द्वारा प्रबंधित किया जाना, जिस पर बैंक की कम पहुंच होती है, इन जोखिमों को कम करने के लिए, बैंक को इस अध्याय में निर्धारित नियंत्रणों के अतिरिक्त, एसओसी संचालन को आउटसोर्स करने के मामले में निम्नलिखित आवश्यकताओं को अपनाना होगा:

(i) सेवाओं के प्रावधान में उपयोग की जाने वाली आस्तियों (जैसे, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड, प्रक्रियाएं और अवधारणाएं) के स्वामी की स्पष्ट रूप से पहचान करना;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि बैंक के पास नियम परिभाषा, अनुकूलन और संबंधित डेटा/लॉग, मेटा-डेटा और विश्लेषण (बैंक के लिए विशिष्ट) पर पर्याप्त निगरानी और स्वामित्व हो;

(iii) सेवा वितरण में शामिल सभी भौतिक सुविधाओं, जैसे कि एसओसी और उन क्षेत्रों जहां ग्राहक डेटा संग्रहीत या संसाधित किया जाता है, सहित एसओसी के कामकाज का समय-समय पर मूल्यांकन करना;

(iv) आउटसोर्स किए गए एसओसी रिपोर्टिंग और एस्केलेशन प्रक्रिया को बैंक की घटना प्रतिक्रिया प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना; और

(v) अलर्ट या घटनाओं से निपटने की प्रक्रिया की समीक्षा करना।

एफ.4 क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का उपयोग

91. समय के साथ कई क्लाउड परिनियोजन और सेवा मॉडल उभर कर सामने आए हैं। ये आम तौर पर उपभोक्ता संस्था द्वारा अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी स्टैक की सीमा पर आधारित होते हैं।

(1) उदाहरण - 1: (i) कुछ क्लाउड सेवाएं निम्नलिखित हैं:



(ए) **इन्फ्रास्ट्रक्चर एज़ ए सर्विस (आईएएस)**: यह सेवा कंप्यूटिंग, स्टोरेज, नेटवर्क और अन्य बुनियादी संसाधन प्रदान करती है ताकि क्लाइंट अपने एप्लिकेशन विकसित और तैनात कर सकें।

(बी) **प्लेटफॉर्म एज़ ए सर्विस (पीएएस)**: यह सेवा क्लाइंट को एप्लिकेशन, मिडलवेयर, डेटाबेस, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और अन्य टूल्स के निर्माण के लिए सॉफ्टवेयर के साथ-साथ बुनियादी ढांचा भी प्रदान करती है।

(सी) **सॉफ्टवेयर एज़ ए सर्विस (एसएसएस)**: क्लाइंट सेवा प्रदाता द्वारा क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर उपलब्ध कराए गए एप्लिकेशन का उपयोग करता है।

(ii) तीन सामान्य एप्लिकेशन सेवाओं के अलावा, क्लाउड सेवा प्रदाता (सीएसपी) विभिन्न जोखिम स्तरों के साथ कई प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे कि डेटाबेस एज़ ए सर्विस, सिक्योरिटी एज़ ए सर्विस, स्टोरेज एज़ ए सर्विस और अन्य।

(2) **उदाहरण - 2**: क्लाउड सेवाओं की डिलीवरी के लिए कुछ लोकप्रिय डिप्लॉइमेंट मॉडल प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड हैं।

92. क्लाउड डिप्लॉइमेंट और सर्विस मॉडल से जुड़ी विभिन्न सेवाओं, लाभों और जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए, क्लाउड वातावरण में डेटा के स्टोरेज, कंप्यूटिंग और मूवमेंट के लिए क्लाउड सेवाओं का उपयोग करने वाला बैंक, इन निदेशों में अन्य लागू प्रावधानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्य करेगा:

(i) मौजूदा आईटी एप्लिकेशन के उपयोग और उनसे संबंधित लागतों के संदर्भ में अपनी कारोबार रणनीति और लक्ष्यों का व्यापक मूल्यांकन करना। इस मूल्यांकन में क्लाउड से संबंधित विभिन्न व्यय मदों का विश्लेषण शामिल होगा, जैसे कि एप्लिकेशन रीफैक्टरिंग, एकीकरण, परामर्श, माइग्रेशन और कार्यभार की प्रकृति के आधार पर अनुमानित आवर्ती व्यय। क्लाउड को अपनाने का दायरा भिन्न हो सकता है, जिसमें गैर- कारोबारिक रूप से महत्वपूर्ण कार्यभारों को क्लाउड पर माइग्रेट करना, एसएसएस जैसे महत्वपूर्ण कारोबार एप्लिकेशन का डिप्लॉइमेंट या इनके बीच के अन्य संयोजन शामिल हो सकते हैं और यह विधिवत किए गए कारोबार प्रौद्योगिकी जोखिम मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा;



(ii) यह सुनिश्चित करना कि इन निदेशों के पैरा 57 में उल्लिखित 'आईटी आउटसोर्सिंग नीति' डेटा के संपूर्ण जीवनचक्र को कवर करती है, अर्थात् डेटा के सृजन से लेकर क्लाउड में उसके प्रवेश और उसके स्थायी रूप से मिटाए जाने या हटाए जाने तक की पूरी अवधि को शामिल करती है। यह भी सुनिश्चित करना कि निर्दिष्ट प्रक्रियाएं कारोबारिक आवश्यकताओं और कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप हों;

(iii) उचित जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित करते समय क्लाउड सेवा विशिष्ट कारकों, जैसे कि बहु-किरायेदारी और डेटा के बहु-स्थान भंडारण या प्रसंस्करण तथा उनसे जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखना;

(iv) बैंक और क्लाउड सेवा प्रदाता (सीएसपी) के बीच साझा उत्तरदायित्व मॉडल की प्रयोज्यता के अनुसार, क्लाउड सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं का संदर्भ लेते हुए आवश्यक नियंत्रण लागू करना; क्लाउड सुरक्षा के सर्वोत्तम तरीकों के लिए, बैंक अन्य बातों के साथ-साथ, NIST SP 800-210 जनरल एक्सेस कंट्रोल गाइडेंस फॉर क्लाउड सिस्टम्स (<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-210.pdf>) का संदर्भ ले सकता है

(v) एक सुस्थापित और दस्तावेजीकृत क्लाउड अडाप्शन पॉलिसी को अपनाकर और प्रदर्शित करके मजबूत क्लाउड गवर्नेंस स्थापित करना। ऐसी नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

(ए) उन सेवाओं की पहचान करना जिन्हें क्लाउड पर अंतरित किया जा सकता है;

(बी) विभिन्न हितधारकों के हितों की सुरक्षा को सक्षम और समर्थन प्रदान करना;

(सी) गोपनीयता, सुरक्षा, डेटा संप्रभुता, प्रतिलब्धता और डेटा वर्गीकरण के अनुरूप डेटा भंडारण आवश्यकताओं सहित विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना; और

(डी) सीएसपी से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन और निरंतर निगरानी के लिए समुचित सावधानी बरतना;



(vi) यह सुनिश्चित करना कि सीएसपी का चयन सीएसपी के व्यापक जोखिम मूल्यांकन पर आधारित हो। बैंक केवल उन्हीं सीएसपी के साथ संविदा करेगा जो ऐसे क्षेत्राधिकारों के अधीन हों जो करार की प्रवर्तनीयता और बैंक को उपलब्ध अधिकारों का समर्थन करते हों, जिनमें डेटा संग्रहण, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता जैसे पहलू शामिल हैं;

(vii) यह सुनिश्चित करना कि क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन को समर्थन देने वाली सेवा और प्रौद्योगिकी संरचना विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संरचना सिद्धांतों और मानकों के अनुपालन में निर्मित की गई है। प्रौद्योगिकी संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:

(ए) कंटेनर, इमेज और रिलीज़ के प्रबंधन के लिए मानक टूल और प्रक्रियाओं का एक सेट प्रदान करना;

(बी) सुरक्षित कंटेनर-आधारित डेटा प्रबंधन प्रदान करना, जहां एन्क्रिप्शन की और हार्डवेयर सुरक्षा मॉड्यूल बैंक के नियंत्रण में हों;

(सी) बहु-किरायेदारी वाले वातावरण में डेटा अखंडता और गोपनीयता जोखिमों तथा डेटा के मिश्रण से सुरक्षा प्रदान करना; और

(डी) लचीला होना और क्लाउड आर्किटेक्चर में किसी एक या एक से अधिक घटकों की विफलता की स्थिति में डेटा/सूचना सुरक्षा पर न्यूनतम प्रभाव के साथ सुचारू रूप से रिकवरी करना;

(viii) सीएसपी के साथ पहचान और पहुंच प्रबंधन (आईएम) पर सहमति बनाना और सुनिश्चित करना कि क्लाउड पर होस्ट किए गए एप्लिकेशन तक उपयोगकर्ता एक्सेस और विशेषाधिकार प्राप्त एक्सेस दोनों के संबंध में भूमिका-आधारित एक्सेस प्रदान की जाए। बैंक को निम्नलिखित करना होगा:

(ए) क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन हेतु आईएम के लिए, ऑन-प्रिमाइसेस एप्लिकेशन के लिए लागू होने वाले सख्त एक्सेस नियंत्रण स्थापित करना;

(बी) क्लाउड-होस्टेड एप्लिकेशन में क्लाउड सर्विस मॉडल की परवाह किए बिना, सभी प्रकार के उपयोगकर्ता-एक्सेस और विशेषाधिकार-एक्सेस भूमिकाओं के लिए कर्तव्यों का पृथक्करण और भूमिका संघर्ष मैट्रिक्स लागू करना;



(सी) यह सुनिश्चित करना कि एक्सेस प्रदान करने का कार्य 'आवश्यकतानुसार' और 'न्यूनतम विशेषाधिकार' के सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित हो; और

(डी) क्लाउड एप्लिकेशन तक एक्सेस के लिए बहु-कारक प्रमाणीकरण लागू करना;

(ix) यह सुनिश्चित करना कि क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन में सुरक्षा नियंत्रणों का कार्यान्वयन ऑन-प्रिमाइसेस एप्लिकेशन में या उसके द्वारा प्राप्त किए गए नियंत्रण उद्देश्यों के समान या उससे उच्च स्तर के नियंत्रण उद्देश्यों को प्राप्त करता है। इसमें नेटवर्क सुरक्षा संसाधनों और उनके कॉन्फ़िगरेशन की उचित तैनाती के माध्यम से सुरक्षित कनेक्शन सुनिश्चित करना; बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली क्लाउड आस्तियों का उचित और सुरक्षित कॉन्फ़िगरेशन, निगरानी और क्लाउड एप्लिकेशन और संबंधित संसाधनों में परिवर्तन को अधिकृत करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं शामिल हैं;

(x) क्लाउड वातावरण में न्यूनतम निगरानी आवश्यकताओं को परिभाषित करना और सीएसपी की सूचना/साइबर सुरक्षा क्षमता का आकलन करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह:

(ए) कमजोरियों और खतरों के प्रति अपने जोखिमों के अनुरूप सूचना सुरक्षा नीति ढांचा बनाए रखता है;

(बी) सूचना आस्तियों या अपने कारोबारिक वातावरण में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली कमजोरियों और खतरों सहित, उनमें होने वाले परिवर्तनों के संबंध में अपनी सूचना/साइबर सुरक्षा क्षमता को बनाए रखने में सक्षम है;

(सी) बैंक द्वारा आउटसोर्स की जा रही सेवाओं की तथ्यात्मकता और खतरे के वातावरण के अनुरूप आउटसोर्स की गई सेवाओं के संबंध में नियंत्रणों के परीक्षण की प्रकृति और आवृत्ति निर्धारित की गई है; और

(डी) जहां लागू हो, उपसंविदाकारों के साथ साझा किए जा रहे डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता के संबंध में उनका आकलन करने के लिए तंत्र मौजूद हैं;



(xi) जहां भी लागू हो, सीएसपी से प्राप्त लॉग और घटनाओं का बैंक के एसओसी में उचित एकीकरण सुनिश्चित करना और क्लाउड पर तैनात सेवाओं से संबंधित घटनाओं की रिपोर्टिंग और प्रबंधन के लिए प्रासंगिक लॉग को क्लाउड में सुरक्षित रखना;

(xii) यह सुनिश्चित करना कि सीएसपी के साइबर रेज़िलिएंस नियंत्रण बैंक के अपने एप्लिकेशन सुरक्षा उपायों के पूरक हों और बैंक तथा सीएसपी दोनों ही सुरक्षा संबंधी सॉफ्टवेयर के निरंतर और नियमित अपडेट बनाए रखें, जिनमें अपग्रेड, फिक्स, पैच और सर्विस पैक शामिल हैं, ताकि उन्नत खतरों और मैलवेयर से एप्लिकेशन को सुरक्षित रखा जा सके;

(xiii) यह सुनिश्चित करना कि सीएसपी के पास खतरों और कमजोरियों के प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित और संरचित दृष्टिकोण हो, जो आवश्यक उद्योग-विशिष्ट खतरे की खुफिया क्षमताओं द्वारा समर्थित हो;

(xiv) यह सुनिश्चित करना कि कारोबार निरंतरता ढांचा बैंक की क्लाउड सेवाओं को प्रभावित करने वाली आपदा या सीएसपी की विफलता की स्थिति में महत्वपूर्ण कार्यों के निरंतर संचालन को न्यूनतम व्यवधान के साथ और डेटा अखंडता तथा सुरक्षा से समझौता किए बिना सुनिश्चित करे;

(xv) यह सुनिश्चित करना कि सीएसपी ने अपने द्वारा उपयोग की जा रही क्लाउड सेवाओं के संबंध में साइबर लचीलेपन के लिए तैयारी और तत्परता हेतु प्रदर्शनकारी क्षमताएं स्थापित की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, मजबूत घटना प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया शामिल हैं, साथ ही क्लाउड सेवाओं के विभिन्न स्तरों पर आवश्यक हितधारकों सहित डीआर अभ्यास का संचालन करना भी शामिल है;

(xvi) निकास रणनीति विकसित करें जो

(ए) इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक की सेवा संबंधी संपार्श्विक और सीएसपी द्वारा धारित डेटा को वापस करने के लिए सहमत प्रक्रियाएं और समय-सीमा; डेटा की पूर्णता और सुवाह्यता; सीएसपी के वातावरण से बैंक की जानकारी का सुरक्षित निष्कासन; सेवाओं का सुचारू संक्रमण; और देनदारियों, क्षति, दंड और क्षतिपूर्ति



की स्पष्ट परिभाषा शामिल होनी चाहिए, जो एसएलए में सेवा स्तर की शर्तों का भी हिस्सा होनी चाहिए;

(बी) निकास योजनाओं को शामिल करें जो एप्लिकेशन और सेवा वितरण प्रौद्योगिकी स्टैक के चल रहे डिजाइन के अनुरूप हों;

(सी) इसमें संविदात्मक रूप से सहमत निकास/समापन योजनाएँ शामिल करें, जो यह निर्दिष्ट करती हों कि बैंक के कारोबार निरंतरता पर न्यूनतम प्रभाव डालते हुए, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखते हुए, क्लाउड-होस्टेड सेवा(ओं) और डेटा को क्लाउड से कैसे अंतरित किया जाएगा; और

(डी) सीएसपी से सभी लेन-देन संबंधी अभिलेखों, ग्राहक एवं परिचालन संबंधी जानकारी और कॉन्फ़िगरेशन डेटा को व्यवस्थित रूप से शीघ्रता से प्राप्त करने और सीएसपी स्तर पर उन्हें हटाने तथा सीएसपी से हस्ताक्षर करने से पहले स्वतंत्र आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए खंड शामिल करें;

(xvii) यह सुनिश्चित करना कि ऑडिट / आवधिक समीक्षा / तृतीय-पक्ष प्रमाणन, प्रयोज्यता और क्लाउड उपयोग के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ क्लाउड गवर्नेंस, एक्सेस और नेटवर्क नियंत्रण, कॉन्फ़िगरेशन, निगरानी तंत्र, डेटा एन्क्रिप्शन, लॉग समीक्षा, परिवर्तन प्रबंधन, घटना प्रतिक्रिया और लचीलापन तैयारी और परीक्षण में बैंक और सीएसपी दोनों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों जैसे पहलुओं को कवर करते हैं।

जी. आउटसोर्स की गई सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण

93. बैंक के पास एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, जिससे आउटसोर्सिंग के कारण किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जाएगा, अर्थात् आउटसोर्स की गई सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के निवारण की जिम्मेदारी बैंक की होगी।
94. किसी बैंक द्वारा किए गए आउटसोर्सिंग व्यवस्था से बैंक के विरुद्ध उसके ग्राहकों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसमें ग्राहकों की प्रासंगिक कानूनों के तहत लागू निवारण प्राप्त करने की क्षमता भी शामिल है।



अध्याय V – निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचाव

95. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, वाणिज्यिक बैंकों पर लागू वित्तीय सेवाओं और आईटी सेवाओं के आउटसोर्सिंग से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि [दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26](#) के माध्यम से सूचित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त बने रहेंगे।
96. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई या की जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के अंतर्गत दिए गए सभी अनुमोदन या अभिस्वीकृतियाँ इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएँगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से निम्न पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

- (1) इसके अंतर्गत अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;
- (2) इसके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दंड;
- (3) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या पूर्वोक्त दंड के संबंध में कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है जैसे कि इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

97. इन निदेशों के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल।



सी. व्याख्याएं

98. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे तो, इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(सुनिल टी एस नायर)

मुख्य महाप्रबंधक